

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994 (Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... नि०/राज्य/रोजगार ऋण-03-37/17

पटना दिनांक: .....

## स्वीकृत्यादेश

विभागीय पत्रांक-1206 दिनांक-16.08.18 (पू0-165/प0) एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 (पू0-18/प0) में वर्णित 15 ट्रेडों में राज्य सम्मोहित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2016-2017 अन्तर्गत दिनांक-06.04.17 से 08.04.17 एवं 10.04.17 से 11.04.17 तक आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति में चयनित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा पटना जिला के वृत्तिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निष्पादित करके उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशांसा के आधार पर कुल 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.18 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	पत्र सं-सं	App/Name / F/H/Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	31/150	MOHAMMAD SIKANDAR ALI, S/o- LATE MANZAR HASAN, V:III-BAKARGANJ MOHARRAMPUR, Block-PATNA SADAR, PS-PIRBHOR, PO- BAKIPUR, Distt.-PATNA-800004, Mobile No.-9308565293	A/c No.:- 20310411986 SBIN0007877	READY MADE GARMENT SHOP	300000	1500 + 2030 = 3530	296470
<b>TOTAL</b>					<b>3,00,000</b>	<b>3,530</b>	<b>2,96,470</b>

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक:- 1874

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को

सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 13-12-2020

प्रबंध निदेशक